न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 59/2013

1 आत्मप्रकाशदास चेला सुखदास जाति स्वामी निवासी जमात तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मंगेजाराम पुत्र गणेशाराम जाति गुर्जर निवासी मण्डावरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 उप पंजियक उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ आदेश व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बउनवानी मंगेजाराम बनाम आत्मप्रकाश वगैरह दावा बाबत घोषणार्थ व स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 36/2004 बखिलाफ आदेश डिक्री दिनांक 04.04.2013

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री हरलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—13.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 36/2004 में पारित निर्णय दिनांक 04.04.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट ने ग्राम इन्द्रपुरा की भूमि खसरा नम्बर 576,577 हाल खसरा नम्बर 177,178,179 के 1/2 भाग की खातेदारी की उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आर्डर शीट में दिनांक 29.08.2008 में यह दर्ज है कि पत्रावली पेश हुई वकुलाय उपस्थित। साक्ष्य वादी में मंगेजाराम उपस्थित आया वकील प्रतिवादी ने जिरह की जो अधुरी रही असल राशन कार्ड के अभाव में गवाह के बयान डेफर किये गये अतः पत्रावली वास्ते जिरह गवाह मंगेजाराम हेतु आइन्दा दिनांक 19.09.2008 को पेश हो। इस आर्डरशीट को पढ़ने से साफ दृष्टि गोचर होता है कि गवाह मंगेजा का मुख्य परिक्षण खत्म होकर के केवल जिरह ही शेष है व जिरह के लिये गवाह कब उपस्थित आया यह आदेशिका में दर्ज नहीं है। अगर गवाह जिरह के लिये उपस्थित नही आया तो गवाह के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बयान नही पढ़े जा सकते इस तरफ विचारण न्यायालय ने गौर ना कर मंगेजाराम वादी के बयानों को अपने निर्णय में आधार मानकर निर्णय व डिक्री पारित करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.08.2011 में यह दर्ज है कि पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। गवाह मंगेजाराम से जिरह अधुरी रही पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी जिरह दिनांक 19.09.2011 को पेश है। इस आदेशिका का अवलोकन करने से भी साफ दर्ज है कि गवाह मंगेजाराम से जिरह पुरी ना होने से पत्रावली वास्ते जिरह मंगेजाराम ही नियत है व आगे की आदेशिका में भी साक्ष्य वादी व जिरह के लिये ही पत्रावली नियत है। विचारण न्यायालय ने दावा डिक्री करने के लिये पत्रावली का सही अवलोकन ना कर गलत मनमाने रूप से ही प्रतिवादी की शहादत बन्द करने की आदेशिका में गलत रूप से दर्ज कर दिया कि वकील प्रतिवादी ने शहादत बन्द की व बहस सुनी गई इस दिनांक को प्रतिवादी के वकील ने अदालत में उपस्थित ही नहीं थे परन्तु विचारण न्यायालय ने मनमाने रूप से आदेशिका में दर्ज कर दिया जबकि अपीलांट को आगामी तिथि 28.06.2013 बताई थी व उक्त तिथि के पहले ही दिनांक 04.04.2013 को दावा डिक्री व निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर नहीं किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी जब जिरह के लिये उपस्थित ही नहीं हुआ तो उसके बयान शहादत में नही पढ़े जा सकते विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर ना कर रेस्पोडेंट संख्या 1 का दावा डिक्री करने में गलती कानूनी की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी के पिता का नाम गणेशाराम है जो कि ग्राम मण्डावरा का रहने वाला है। इस बाबत अपीलांट ने अपने जवाब दावा में ऐतराज लिया था व इस बाबत विचारण न्यायालय में दस्तावेजात मुख्तीयारनामा खास जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता गणेशाराम ने अपने पुत्र मंगेजाराम के हक में लिखा था जो 26.12.1979 को लिखा जाकर उप पंजियक उदयपुरवाटी के यहां पंजीबद्व किया गया था पेश किया है। परन्तु विचारण न्यायालय को प्रतिवादी के जवाब के आधार पर तनकी बनानी चाही थी इससे मुख्य विवाद यह है कि आया वादी मंगेजाराम किसका पुत्र है। यह गणेशाराम निवासी मण्डावरा का पुत्र है या नत्थुराम निवासी इन्द्रपुरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का पुत्र है इस बाबत तनकी बनानी चाहिए थी व इसी तनकी को तय करने के लिये सिविल न्यायालय में भेजनी चाहिए था इस तनकी का निर्णय हुये बिना विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 के हक में दावा डिक्री करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने तनकीयात कुल 5 बनाई है। विचारण न्यायालय को तनकी इस बाबत बनाई जानी चाहिये थी व मोहनी प्रतिवादी संख्या 2 उक्त नत्थुराम की बेवा या नही अगर है। इस बाबत तनकी बनाकर के तय करनी चाहिये थी परन्तु विचारण न्यायालय ने इस बाबत कोई तनकी नहीं बनाई इस बाबत विचारण न्यायालय ने गौर ना कर निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने तनकीयात संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादी को होना बताया है व इन तनकीयात को वादी के पक्ष में साबित करने के लिये अपीलांट के जवाब दावे को भी आधार मान है। परन्तु जवाब दावे में कहीं भी रेस्पोडेंट संख्या 1 को नत्थुराम का पुत्र होने अपीलांट ने स्वीकार नही किया है। विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय इस तरफ गौर नहीं किया कि मुख्य विवाद नत्थूराम के वारिसान है। उक्त नत्थूराम के वारिसान जब तक सक्षम न्यायालय में तय नही करवाये जाते है। तब तक वादी को वाद लाने का अधिकार ही नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 04.04.2013 को पारित किया जाना बताया है व जबकि अपीलांट को आगामी तिथि 28.06.2013 दी गई थी विचारण न्यायालय में अपीलांट दिनांक 28.06.2013 को उपस्थित आया व पत्रावली नहीं आई तो पता लगाया तो पता कि दिनांक 04.04.2013 को ही आदेश पारित हो गया तो अपीलांट ने नकल की दरखवास्त दिनांक 28.06.2013 को पेश कर दी जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 01.07.2013 को सांयकाल मिली तो अपीलांट झुंझुनू आया व वकील किया व अपील दिनांक 02.07.2013 को तैयार करवाकर पेश कर दी, इस तरह से अपील जानकारी के रोज से अन्दर मियाद है। अगर अन्दर मियाद ना मानी जावे तो दफा 5 मियाद अधिनियम का फायदा दिया जाकर के अपील अन्दर मियाद मानी जावें। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वाद प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का जवाब दावा प्राप्त कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य नत्थुराम की विरासत को लेकर विवाद है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी को साक्ष्य हेतु दिनांक 17.03.2005 से 01.04.2013 तक 83 तारीख पेशीयां दी गई है। इसके पश्चात विचारण न्यायालय की आदेशिका में वादी के साक्ष्य बन्द करने अथवा प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु एक भी तिथि, एक भी अवसर प्रदान नही किया गया है। अपीलांट का यह भी आक्षेप है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के जवाब दावें में आक्षेपित विवाद बिन्दु कायम नही किये गये है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा एक ही तिथि को वादी की साक्ष्य बन्द की गई, प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की गई, प्रतिवादी संख्या 2 की फौतगी पर निर्णय किया गया, बहस अन्तिम सुनी गई एवं उसी दिन विचाराधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री भी पारित की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधिक प्रकिया की पालना में पारित किया हुआ नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वाद कथन व जवाब दावे में आक्षेपित तथ्यों पर पुन विवाद बिन्दु कायम करे, उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त करे तदुपरान्त बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम भोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर